

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.1(45)नवि/II/2017

जयपुर, दिनांक 18 MAR 2019

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22.02.2019 द्वारा श्री तैयब खान, अधिशाषी अभियंता (न्यास सेवा), नगर विकास न्यास, अलवर का जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में किया स्थानान्तरण/पदस्थापन एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। श्री खान यथावत नगर विकास न्यास, अलवर में कार्यरत रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(कन्हैयालाल स्वामी)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. आयुक्त/सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, प्रथम, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।
6. श्री तैयब खान, अधिशाषी अभियंता (न्यास सेवा), नगर विकास न्यास, अलवर।
7. वरि. शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-प्रथम